अंबेडकर प्रतिमा का टूटा चश्मा, दो साल से हो रही उपेक्षा, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप

शहडोल, देशबन्धु। संभाग के अंबेडकर चौक में विश्व रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का चश्मा पिछले दो वर्षों से टूटा पड़ा है। यह क्षतिग्रस्त चश्मा अब प्रशासनिक उदासीनता का जीता-जागता प्रतीक बन चुका है।

स्थानीय निवासियों ने कई बार ज्ञापन सौंपकर मरम्मत की मांग की गई लेकिन नगर पालिका और संबंधित विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। न केवल चश्मा बदला गया, बल्कि प्रतिमा स्थल की साफसफाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्षेत्र में जगह-जगह खोदे गए गड्ढों ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। बारिश के मौसम में ये गड्ढे जलभराव का कारण बनते हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी होती हैं। विशेषकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पैदल चलने में असमर्थ हो जाते हैं। अंबेडकर चौक शहर का व्यस्त केंद्र हैं, जहां रोज सैकड़ों लोग आते-जाते हैं लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से यहां दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। इधर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर शहडोल में विशाल रैली सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। स्थानीय संगठनों ने लाखों समर्थकों के सहभाग की तैयारी की है लेकिन प्रतिमा स्थल की बदहाल हालत देखकर लोगों में भारी आक्रोश है।

सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर उइके ने कहा कि बाबा साहब समानता के प्रतीक हैं लेकिन उनकी प्रतिमा की यह दुर्दशा असहनीय है। प्रशासन जयंती से पहले सुधार करे, वरना आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि प्रतिमा मरम्मत और साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की है या लोक निर्माण विभाग की दो साल बीत चुके, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जयंती नजदीक आ रही है, क्या प्रशासन अब जागेगा या उपेक्षा का यह सिलसिला जारी रहेगा।

दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत

शहडोल, देशबन्धु। जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल, चरखरी के पास दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे की है।

सूचना मिलते ही ब्यौहारी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका उपचार जारी है। मृतक की पहचान उमरिया जिले के मानपुर निवासी जगदीश पाल के रूप में हुई है।

तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आंशका पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है।

ब्यौहारी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग

किराना गोदाम में काफी नुकसान आग बुझाने 8 घंटे की मशक्कत

शहडोल, देशबन्धु। जिले के ब्यौहारी क्षेत्र में एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते बड़ा कहर बरपा दिया। वार्ड नंबर 9 न्यू बरौधा स्थित एक किराना गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिससे लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह गोदाम स्थानीय व्यापारी राजेश गुप्ता का है, जो किराना सामान के थोक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। घटना के समय गोदाम बंद था और परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे। देर शाम आसपास के लोगों ने गोदाम से धुआं उठते और आग की लपटें निकलती देखी। जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना राजेश गुप्ता को दी गई। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी।घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू में करने के लिए दमकल कर्मियों को करीब 8 घंटे तक लगातार मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान दमकल वाहनों द्वारा 6 से अधिक बार पानी डालकर आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका लेकिन तब तक गोदाम में रखा अधिकांश सामान पूरी तरह जल चुका था। इस भीषण आगजनी में गोदाम में रखा भारी मात्रा में किराना सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में 30 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। स्वयं गोदाम मालिक राजेश गुप्ता ने भी नुकसान की पुष्टि करते हुए बताया कि उनका लगभग पूरा स्टॉक आग की भेंट चढ़ गया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ब्यौहारी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगजनी का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा हैए हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाताए तो यह आग आसपास के मकानों और दुकानों तक भी फैल सकती थीए जिससे और बड़ा नुकसान हो सकता था। प्रशासन और दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं और विद्युत उपकरणों की नियमित जांच की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

सार-समाचार

दिव्यांगों एवं वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण वितरित

सामाजिक अधिकारिता शिविरों में मिली राहत

शहडोल, देशबन्धु। जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जनपद पंचायत बुढार एवं गोहपारू में सामाजिक अधिकारिता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से एडिप योजना एवं आरव्हीवाई योजना के तहत चिन्हित हितग्राहियों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गएए जिससे उनके दैनिक जीवन में सुविधा और आत्मनिर्भरता बढ़ सके। जनपद पंचायत बुढार में आयोजित शिविर में स्थानीय विधायक जयसिंह मरावी की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 17 वरिष्ठ नागरिकों और 17 दिव्यांगजनों को कुल 70 सहायक उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम में हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि लंबे समय से उन्हें जिन सुविधाओं की आवश्यकता थी, वह अब पूरी हो सकी। इसी तरह जनपद पंचायत गोहपारू में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में 19 वरिष्ठजन एवं 11 दिव्यांगजनों को कुल 56 सहायक उपकरण वितरित किए गए।

इन उपकरणों में बैसाखी, ट्राई साइकिल, वॉकर, व्हीलचेयर, छड़ी सहित अन्य उपयोगी सामग्री शामिल रही। इन साधनों के माध्यम से दिव्यांगजन अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक सहजता से कर सकेंगेए वहीं वरिष्ठजनों को भी चलने-फिरने में सहूलियत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि शासन की मंशा है कि समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समय.समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाता हैए ताकि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच सके। शिविर में उपस्थित लाभार्थियों ने शासन एवं प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि सहायक उपकरण मिलने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। कई लाभार्थियों ने बताया कि पहले उन्हें चलने-फिरने में काफी कठिनाई होती थी लेकिन अब इन उपकरणों के माध्यम से वे अपने कार्य स्वयं कर सकेंगे।

जनगणना के दृष्टिगत समस्त अवकाश पर लगा प्रतिबंध

पन्ना, देशबन्धु। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ऊषा परमार द्वारा जनगणना 2027 अंतर्गत एवं जनगणना अधिनियम 1948 के तहत न्याय, पुलिस, वन विभाग एवं होमगार्ड को छो?कर पूर्व में जिले के सभी लोकसेवकों के अवकाश प्रतिबंधित किए गए थे। इस अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर शैक्षणिक संवर्ग के लोकसेवकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने मुख्यालय पर ही निवास करना अनिवार्य किया गया है। अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी से मुख्यालय छोड़ने की लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही लोकसेवक को नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। चार्ज जनगणना अधिकारी द्वारा आवश्यकता मुताबिक जनगणना कार्य के संबंध में आदेश जारी करने की स्थिति में संबंधित लोकसेवक को अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करना होगी। जिले के समस्त जिला अधिकारियों को कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

अनंतिम चयन सूची जारी

पन्ना, देशबन्धु। महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय पन्ना ग्रामीण द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पद की पूर्ति के लिए खंड स्तरीय चयन समिति की बैठक उपरांत अनंतिम चयन सूची जारी की गई है। सूची का अवलोकन एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल पर किया जा सकता है। इस संबंध में पोर्टल के माध्यम से 8 से 14 अप्रैल तक दावा आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। अनंतिम चयन सूची अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र मडला 4 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर अनीसा अहिरवार, बांधीकला 1 में अंजना राजा एवं गहरा में मनीषा डुमार का अनंतिम चयन किया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान को मिला नया आयाम नर्सरी में चार हजार पौधों की तैयारी शुरू

शहडोल, देशबन्धु। जिले में जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विकासखंड ब्यौहारी में एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल सामने आई है। इस अभियान के अंतर्गत नवांकुर संस्था एवं जगदम्बा जन विकास समिति भमरहा प्रथम द्वारा नर्सरी में बड़े स्तर पर पौध तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया हैं। जो आने वाले समय में क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अभियान के तहत नर्सरी में मुनगा, सहजन, अमरूद, सीताफल और आंवला जैसे उपयोगी एवं पर्यावरण के लिए लाभकारी पौधों का बीजारोपण किया गया है। प्रत्येक प्रजाति के लगभग 1000 पौध तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 4000 पौधों की तैयारी की जा रही है। इन पौधों के माध्यम से न केवल हरित आवरण बढ़ेगा, बल्कि जल संरक्षण की दिशा में भी ठोस परिणाम देखने को मिलेंगे।

इस पहल के पीछे उद्देश्य केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं हैए बल्कि स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बताया कि पौध तैयार होने के बाद इन्हें प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से विभिन्न गांवों एवं सार्वजनिक स्थलों पर रोपित कराया जाएगा। इससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगीए मिट्टी का क्षरण रुकेगा और जल स्रोतों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुनगा, अमरूद, सीताफल और आंवला जैसे पौधे न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इन फलों से लोगों को पोषण के साथ.साथ आय के साधन भी उपलब्ध होंगे।जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत इस तरह के नवाचार जिले में एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। यह पहल दर्शाती है कि यदि समाज के विभिन्न संगठन और स्थानीय समुदाय मिलकर प्रयास करें तो पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा भी इस अभियान को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा हैए जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आने वाले समय में जब ये पौधे बड़े होकर पेड़ों का रूप लेंगे तब यह पहल क्षेत्र के लिए एक हरित क्रांति का आधार बन सकती है।

जल गंगा संवर्धन अभियान : पानी की हर बूंद को संरक्षित करने की पहल

शहडोल, देशबन्धु। जल संरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा श्जल गंगा संवर्धन अभियान शहडोल जिले में प्रभावशाली रूप से प्रगति कर रहा है। जल की हर बूंद की रक्षा के संकल्प के साथ संचालित यह अभियान न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का माध्यम बन रहा है, बल्कि जन-जन में जल के महत्व को समझाने का एक व्यापक जनांदोलन भी बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेशभर में चल रहे इस अभियान के तहत शहडोल जिले में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संचयनए जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धनए तथा आमजन में जल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान आगामी 30 जून तक निरंतर जारी रहेगा।

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम प्रजापति के निर्देशन में जिले की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत पुराने तालाबों की सफाई, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, सोक पिट निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण तथा अन्य जल संरक्षण गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

जिला प्रशासन ने जन सहयोग से वितरित की पोषण किट

कुपोषण मुक्त शहडोल की दिशा में पहल तेज

शहडोल, देशबन्धु। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभागए पंचायत विभाग, आजीविका मिशन तथा जन सहयोग के संयुक्त प्रयास से चिन्हित कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरित किए जाने का अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान आगामी तीन माह तक लगातार संचालित किया जाएगाए जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके।

इसी क्रम में जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत सोहागपुर अंतर्गत चिन्हित बच्चों को पोषण किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभा मिश्रा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम प्रजापति ने स्वयं बच्चों एवं उनके परिजनों को किट सौंपकर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों के बेहतर पोषण और स्वस्थ भविष्य के लिए इस पहल को अत्यंत आवश्यक बताया।

वितरित किए जा रहे पोषण किट में भुना चना, गुड़, मूंगफली, ड्राई फ्रूट तथा मोरिंगा पाउडर जैसी पौष्टिक सामग्री शामिल की गई है। ये सभी सामग्री बच्चों को आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन और पोषक तत्व प्रदान करने में सहायक होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित रूप से इन पोषक आहारों के सेवन से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि कुपोषण केवल स्वास्थ्य का ही नहींए बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का भी एक बड़ा मुद्दा है। इसे समाप्त करने के लिए प्रशासन के साथ-साथ समाज के हर वर्ग की सहभागिता जरूरी है। इसी उद्देश्य से जन सहयोग को इस अभियान में विशेष महत्व दिया गया हैए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों तक सहायता पहुंचाई जा सके।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष फूलवती सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अखिलेश मिश्रा, परियोजना अधिकारी आनंद अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर कुपोषण के खिलाफ इस मुहिम को सफल बनाने का संकल्प लिया।

शिक्षक मोर्चा ने टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने और सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति से करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

शहडोल, देशबन्धु। जिले में अध्यापक एवं शिक्षक संवर्ग से जुड़े हजारों शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर अब आवाज तेज हो गई है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिला शहडोल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है। यह ज्ञापन कलेक्टर शहडोल के माध्यम से भेजा गयाए जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने से लेकर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करने तक की प्रमुख मांगें शामिल हैं। ज्ञापन में मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान में लागू नीतियां अध्यापक एवं शिक्षक संवर्ग के हितों के विपरीत हैं और इससे हजारों शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। मोर्चा का मानना है कि यदि समय रहते इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गयाए तो यह आंदोलन का रूप भी ले सकता है। ज्ञापन का सबसे प्रमुख मुद्दा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने से जुड़ा है। मोर्चा ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए कठिनाई पैदा कर रहा हैए जो वर्षों से सेवा में कार्यरत हैं।

ऋण वसूली अधिकरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग, (बैंकिंग प्रभाग)
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (BSNL बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र.)– 482001

ई-नीलामी सूचना **ई-नीलामी क्रमांक- 80/2026**

Case No.: RC 393/2016 / ओ.ए.नं. 111/2015

INDIAN BANK वि. M/S BHAGWAT CONSTRUCTION एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाण पत्र क्रमांक **RC No. RC 393/2016/ O.A. No. 111/2015** में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र **Rs. 28,39,196.00 (Rupees Twenty Eight Lakh Thirty Nine Thousand One Hundred Ninety Six only)** तथा उस पर 12.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनांक 24.03.2015 से ब्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाईन ई–नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाईट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से की जायेगी।

ई– नीलामी की तिथि एवं समय: 20–05–2026 दोपहर– 12.00 से 01.00

सम्पत्ति की अनुसूची–

All that part and parcel of Land bearing Khasra No. 10/2/tha (old) 10/2/21 (new) and Khasra No. 10/2/tha/2 (old) 10/2/12/2 (new), total area admeasuring 0.052 hectare, PH No. 34-36, situated at Village- Gahilgad West, Waidhan, Tehsil & District- Singrauli (M.P.); Property in the name of Shri Hari Charan Yadav S/o Late Shri Mukkha Yadav.

प्रारक्षित मूल्य– रूपये : Rs. 30,50,000.00 (Rupees Thirty Lakh Fifty Thousand only).

विक्रय की शर्तें– (1) इच्छुक निविदाकर्ता वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र धारक होना चाहिये। अधिक विवरण हेतु **M/s. C-1 India Pvt. Ltd. website: https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Mithalesh Kumar on Mob. No. 7080804466, E-mail id- mpcg@c1india.com or E-mail ID: support@bankeauctions.com** (2) इच्छुक निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है कि निविदा जमा करने के पूर्व वेब साईट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध नीलामी बिड प्रपत्र तथा विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन कर लें। (3) बिड केवल ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर पहचान पत्र की प्रति के साथ संलग्न कर जमा करनी होगी। (विस्तृत नियम व शर्तों का संदर्भ लें)। (4) अग्रिम जमा धरोहर राशि (ईएमडी) हेतु प्रारक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि जो रूपये **Rs. 3,05,000.00 (Rupees Three Lakh Five Thousand only)** है, RTGS / NEFT / MONEY TRANSFER द्वारा वसूली अधिकारी, ई–नीलामी खाता, ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर के नाम से धारित Account No. **5692799461** in the name of Recovery Officer, E-auction account, DRT Jabalpur with **CENTRAL BANK OF INDIA, DHOBIGHAT BRANCH, JABALPUR. (IFSC Code: CBIN0281618)** में आवश्यक रूप से जमा करनी होगी तथा उक्त राशि का प्रेषण बिड प्रपत्र में सुस्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा। (5) निविदा ऑनलाईन माध्यम से **दिनांक 18–05–2026** अथवा इसके पूर्व 17.00 बजे तक जमा करनी होगी। (6) ऑनलाईन माध्यम से जमा बिड प्रपत्र तथा अनुलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (BSNL बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर को प्रेषित करनी होगी तथा शीघ्र अतिशीघ्र भेजने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को सूचित किया जाता है और वह, सभी नीलामी के खरीददारों की सूची एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध करावें। (7) ऑनलाईन नीलामी बोली प्राप्त बिड में से अधिकतम बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक बिड वृद्धि राशि न्यूनतम रू. **Rs. 30,000.00 (Rupees Thirty Thousand only);** होगी। ऑन लाईन बिड में समय समाप्त के पूर्व बिड डालने पर सिस्टम द्वारा अपने आप 5 मिनिट का समय बढ़ता रहेगा। (8) असफल बोलीकर्ताओं की अग्रिम धरोहर राशि (ईएमडी) वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर द्वारा उसी खाते में वापिस की जायेगी, जिससे कि उसका भुगतान हुआ है तथा इस संबंध में कोई भी पूछताछ स्वीकार्य नहीं होगी। इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा अग्रिम धरोहर राशि (ईएमडी) जमा किये जाने के पश्चात वे जब तक असफल बोलीकर्ता घोषित नहीं किये जाते तब तक ईएमडी राशि वापस नहीं ले सकते अन्यथा राशि जप्त कर ली जायेगी। (9) सफल बोलीकर्ता को विक्रय उसके पक्ष में घोषित किये जाने की स्थिति में, 25 प्रतिशत बोली राशि (ईएमडी राशि को समायोजित करते हुये) अगले दिन RTGS/ NEFT / MONEY TRANSFER के द्वारा कंडिका–4 में उल्लेखित खाते में जमा करनी होगी। (10) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि, एवं विक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत पोन्डेज शुल्क तथा रू. 10 (प्रति संपत्ति अलग–अलग) सहित नीलामी के 15 दिनों के अन्दर या यदि 15 वां दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश हो तो, 15 वें दिन पश्चात प्रथम कार्यालयीन दिवस को उपरोक्त उल्लेखित क्रमांक 4 में दर्शित खाते में समयावधि में भुगतान करना होगा। भुगतान में चूक करने पर सम्पत्ति की नई विक्रय उद्घोषणा जारी करने के पश्चात पुनः विक्रय की जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त राशि शासन के पक्ष में जप्त कर ली जायेगी तथा तत्पश्चात विक्रय होने वाली संपत्ति अथवा राशि के किसी अंश पर चूककर्ता बोलीकर्ता के समस्त दावे समपहृत होंगे। (11) सम्पत्ति "जहाँ है जैसी है तथा बिना किसी शिकायत" के आधार पर विक्रय की जायेगी। (12) संपत्ति का निरीक्षण दिनांक **04–05–2026 को प्रातः 12 बजे से 16 बजे** तक किया जा सकेगा। (13) संपत्ति प्रारक्षित मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय नहीं की जायेगी। (14) वसूली अधिकारी को किसी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का या बिना कोई कारण बताये नीलामी को आगे बढ़ाने या स्थगित करने का निर्बाध अधिकार होगा। (15) इच्छुक निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे **Shri Ganesh Gorai, Branch Manager, Mob. No. 97279 81160** में उपलब्ध संपत्ति के स्वत्वाधिकार विलेख का निरीक्षण कर लें तथा संपत्ति की पहचान एवं विवरणी सही होने तथा प्रभारों आदि की पड़ताल कर लें। इस संबंध में वसूली अधिकारी किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्ति का विवरण बैंक द्वारा प्रदत्त दस्तावेज पर आधारित है। (16) ई–नीलामी के संबंध में विवरण **M/s. C-1 India Pvt. Ltd. website: https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Mithalesh Kumar on Mob. No. 7080804466, E-mail id- mpcg@c1india.com or E-mail ID: support@bankeauctions.com** (17) संपत्ति से संबंधित अधिक जानकारी **Shri Ganesh Gorai, Branch Manager, Mob. No. 97279 81160** से प्राप्त की जा सकती है। (18) इच्छुक निविदाकर्ता ई – नीलामी प्रक्रिया में अपने स्वयं के कार्यालय/ स्वेच्छा के स्थान से बोली हेतु सम्मिलित हो सकते हैं। प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा इंटरनेट कनेक्टीविटी स्वतः सुनिश्चित करनी होगी। डीआरटी/बैंक/ सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से इंटरनेट कनेक्टीविटी, नेटवर्क समस्या, तंत्र विक्षेप, विद्युत व्यवधान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

स्थान– जबलपुर
दिनांक– 18/03/2026

(प्रीति देसाई)
वसूली अधिकारी 1